संख्या– 4201/9–3–13–63सी/79टी0सी0

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय, उ0प्र0
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–3

लखनऊ : दिनॉक 14 अक्टूबर, 2014

विषयः–स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से उ0प्र0 जल निगम की सेवा में स्थानान्तरित कार्मिकों की सेवानैवृत्तिक/पेंशन लाभों पर होने वाले व्यय की आनुपातिक आधार पर प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल निगम की सेवा में आमेलित राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त/मृत्यु के उपरान्त दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा सेवानैवृत्तिक/पेंशन लाभों पर किये गये भुगतान की धनराशि रू0 17,18,35,938.00 (रूपये सत्ररह करोड़ अट्ठारह लाख पैंतीस हजार नौ सौ अड़तीस मात्र) के सापेक्ष गत वित्तीय वर्ष, 2013–14 में शासनादेश संख्या–855/9–3–14–63सी/79टी0सी0 दिनांक 27.03.2014 द्वारा शासकीय अंश की धनराशि रू0 8,37,68,217.00 (रूपये आठ करोड़ सैंतीस लाख अड़सठ हजार दो सौ सत्रह मात्र) अवमुक्त की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान आख्या 62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ–01–सिविल–101–अधिवर्षता और सेवानिवृत्त भत्ते–04–जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राजकीय सेवा के लिए अंशदान–33–पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ मद में रू0 10,00,00,000/= (रूपये दस करोड़ मात्र) की व्यवस्था है। दिनॉक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक की उक्त मद में अवशेष राशि रू0 8,80,67,721.00 (रूपये आठ करोड़ अस्सी लाख सड़सठ हजार सात सौ इक्कीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट में अनुदान संख्या–62 में उपर्युक्त मद हेतु व्यवस्थित धनराशि रू0 10,00,00,000.00 (रूपये दस करोड़ मात्र) में से अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित धनराशि रू0 8,80,67,721.00(रूपये आठ करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार सात सौ इक्कीस मात्र) का आहरण निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ से किया जायेगा तथा ट्रेजरी चेक द्वारा धनराशि का भुगतान उ0प्र0 जल निगम को किया जायेगा।

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2014–15 के आय–व्यय के, अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ–आयोजनेत्तर–01–सिविल–101–अधिवर्षता और सेवानिवृत्त भत्ते–04–जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राजकीय सेवा के लिये अंशदान–33–पेंशन/आनुपोषित–अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू0ओ0–सा–3–968/दस–2014, दिनांक 30.09.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

क्रमशः–2

AKR. GO

संख्या– 4200 (1)/9–3–14–63सी/79टी0सी0–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
2– महालेखाकार (लेखा एव हकदारी), द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8/वित्त(सामान्य) अनुभाग–3
5– संबंधित वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0, जल निगम, लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

13/10/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

AKR. GO